भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2032
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में न्याय मित्रों की नियुक्ति

2032. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :

श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले सहित जिला-वार कितने न्याय मित्र नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में न्याय मित्र योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला-वार कुल कितनी निधि आवंटित और संवितरित की गई है ;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान न्याय मित्रों द्वारा लंबित मामलों के निपटान का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में न्याय मित्रों की नियुक्ति में कोई चुनौतियां आई है अथवा विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश, विशेषकर विजयनगरम जिले, में अतिरिक्त न्याय मित्रों की नियुक्ति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय मित्र कार्यक्रम अप्रैल, 2017 में न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था । इसका उद्देश्य 10 से 15 साल पुराने मामलों का निपटान करना था, जिसमें वैवाहिक, दुर्घटना दावा मामले जैसे सिविल मामले तथा उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले भी शामिल थे । न्याय मित्र कार्यक्रम के आरंभ के पश्चात् से, असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विभिन्न जिला न्यायालयों में कुल 39 न्याय मित्र बनाए गए थे । ऊपर वर्णित राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में न्याय मित्र नियुक्त नहीं किए गए थे । इसके कार्यान्वयन की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश के जिला न्यायालयों में कोई न्याय मित्र नियुक्त नहीं किया गया था । पिछले कुछ वर्षों में योजना की प्रगति की उचित समीक्षा और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2023-2024 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

(ग) से (ङ) : उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता ।

******